केंद्रीय विद्यालय संगठन

(सन् 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी)

संघ की बर्हिनियमावली

1. सोसायटी का नाम "केंद्रीय विद्यालय संगठन" है।
(इसमें इसके बाद संगठन कहा जाएगा।)

2. संगठन का कार्यालय दिल्ली में होगा या किसी दूसरी जगह या जगहों पर होगा, जैसा कि संगठन निर्धारित करेगा।

3. जिन उद्देश्यों के लिये संगठन की स्थापना की गई है, वे हैं:

(क) भारत सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, अस्थायी जनसंख्या और अन्य के बच्चों के लिये विद्यालयों, जिन्हें इसके बाद 'केंद्रीय विद्यालय' कहा गया है की व्यवस्था करना, स्थापित करना, समुचित साधन जुटाना, रख-रखाव, प्रबंध एवं नियंत्रण करना और ऐसे विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक और अनुकूल कार्य करना।

(ख) (क) में बताए गए प्रयोजनों से पहले से स्थापित संस्थानों की, जिन्हें केंद्रीय विद्यालयों के रूप में जाना जाता है, परिसंपत्तियों, सम्पत्तियों और अनुबंधों को प्राप्त करना। इनके नाम, पते और विवरण इसके **'परिशिष्ट (क)'** में दिया गया है।

(ग) केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के रहने के लिये छात्रावासों की स्थापना, उसका विकास, रख-रखाव और प्रबंध करना।

(घ) भारत के किसी भी हिस्से में संगठन उद्देश्य में आगे बढ़ाने के लिये आवश्यकतानुसार अन्य संस्थानों को मदद/सहायता देना, स्थापना करना और संचालन करना।

(च) केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई संबंधी पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रम तैयार करना, शुरू करना, पर्यवेक्षण करना, तथा उनमें संशोधन करना।

(छ) संगठन के अंतर्गत शिक्षण, अध्यापन, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिक वर्गीय एवं अन्य पदों का सृजन करना और उनकी नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ एवं स्थानांतरण करना एवं उनके लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ज) बोर्डों, समितियों या अन्य निकायों का यथा यथोचित गठन करना एवं उनकी शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल आदि निर्धारित करना।

(झ) संगठन के किसी भी प्रयोजन स्वरूप, किसी भी तरीके से संपत्ति को अधिगृहीत करना, रखना, बेचना या निपटारा करना, बशर्ते अचल संपत्ति के अधिग्रहण या निपटारे के बारे में केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो और किसी भी भवन या भवनों के निर्माण, सुधार, परिवर्तन, नष्ट करना, मरम्मत एवं उनका रख-रखाव संगठन के प्रयोजन के लिये करना।

(ट) संगठन से संबंधित किसी भी संपत्ति का सौदा यथोचित ढंग से करना, जोकि पूर्वोक्त किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन की उन्नति के लिये हो।

(ठ) संगठन के अध्यापकों, कर्मचारी वर्ग/स्टाफ, और अन्य कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों को या उनकी पत्नियों, बच्चों अन्य आश्रितों को पेंशन, उपदान/ग्रेच्युटी या धर्मार्थ सहायता देना और संगठन में कार्यरत किसी भी कर्मचारी या इन कर्मचारियों की पत्नियों, बच्चों या अन्य संबंधियों या इनके आश्रितों के फायदे के लिये हितलाभ निधि और भविष्य निधि बनाना और उसमें योगदान देने की व्यवस्था करना।

(ड) एक निधि बनाना जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा।

(i) केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धन राशि;

(ii) संगठन द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सभी शुल्क एवं अन्य प्रकार की वसूली;

(iii) अनुदानों, उपहारों, चंदों, लाभकारी योजनाओं, वसीयत या अंतरण के रूप में संगठन द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी धन राशि; और

(iv) किसी भी अन्य तरीके या स्रोत से संगठन द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की धन राशि;

(ढ) किसी अन्य संगठन, संस्था या एसोसिएशन, जिसका पूर्ण या आंशिक उद्देश्य संगठन के समान हो, को अभिदान करना, या सदस्य बनना या अधिगृहीत करना, या सहयोग करना, या उसमें शामिल होना और इसी तरह की किसी ऐसी मौजूदा संस्था को सहायता देना जैसा गवर्नर बोर्ड उचित समझें।

(त) नियमों एवं विनियमों के तहत निर्धारित इस प्रकार के शुल्क एवं अन्य प्रभारों को तय करना एवं वसूल करना।

(थ) उक्त निधि में जमा की गई सारी धन राशि ऐसे बैंकों में जमा करना या ऐसे तरीके से उसका निवेश करना जैसा केंद्र सरकार के अनुमोदन से संगठन निर्धारित करें।

(द) संगठन से संबंधित सभी या कोई अन्य अचल या चल संपत्ति की, जमानती राशि के सहित या उसके बगैर उधार लेना या धन पैदा करना, उसे गिरवी रखना या बंधक रखना।

(ध) संगठन के प्रयोजन के लिये आवश्यक रूप से चैकों/नोटो या लिखित प्रपत्रों का आहरण, तैयार करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकन/पुष्टि करना या छूट देना और इस प्रयोजन के लिये हस्ताक्षर करना, निष्पादन करना, और इस तरह के आश्वासन और विलेख सुपुर्द करना।

(प) इन सभी उद्देश्यों के लिये आवश्यक समझे जाने वाले प्रासंगिक या अनुकूल कार्य करना जो कि संगठन के सभी या किसी भी उद्देश्य हेतु प्रयोजनीय हों।

4. संगठन द्वारा किये गये कार्यों की एवं कार्य प्रगति की समीक्षा करने एवं इस बारे में जाँच-पड़ताल के लिये भारत सरकार, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

5. भारत सरकार अपनी ओर से या पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित समीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर संगठन को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जोकि संगठन के उद्देश्यों की बढ़ोतरी के लिये और उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिये आवश्यक समझे जाते हैं और संगठन इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

6. संगठन की किसी भी तरह से प्राप्त आय और संपत्ति का नियोजन उसके लक्ष्य की प्रगति की ओर अग्रसर होने के लिये होगा, जोकि संस्था के संगम ज्ञापन में निर्धारित हैं, लेकिन यह ऐसी शर्तों एवं सीमाओं के अधीन होगा जो भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं। संगठन की आय और संपत्ति का कोई भी अंश लाभांश, बोनस या अन्य किसी भी रूप में या लाभ प्राप्ति के किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन व्यक्तियों को जो वर्तमान में या पूर्व में संगठन या अधिशासी मंडल के या दोनों में से किसी एक के सदस्य रहे हों अदा या हस्तांतरित नहीं की जाएगी लेकिन इसमें किसी बात के शामिल होते हुए भी इनमें से कोई भी बात किसी भी व्यक्ति या उनके जरिये/मातहत दावेदार या दोनों में से कोई भी उनके या अन्य व्यक्तियों द्वारा संगठन को प्रदत्त सेवाओं के एवज में सद्भाव पारिश्रमिक/मेहनताने की राशि की या यात्रा भत्ता, विराम भत्ता या अन्य समरूप भत्तों की अदायगी करने से नहीं रोकेगी।

7. संगठन के अधिशासी मंडल (जिसे नियमों में गवर्नर बोर्ड कहा गया है) के प्रथम सदस्यों जिन्हें संगठन के नियमों के अनुसार इसके मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है, के नाम, पते एवं व्यवसाय नीचे लिखे अनुसार हैं जैसा कि 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI, (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) की धारा 2 के तहत दिल्ली संघ शासित प्रदेश में यथा लागू के अन्तर्गत अपेक्षा की गई है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	पता	व्यवसाय
1.	श्री पी.एन. किरपाल	अध्यक्ष	सचिव, शिक्षा मंत्रालय	सरकारी सेवा
2.	श्री एल.ओ. जोशी	उपाध्यक्ष एवं आयुक्त के.वि.सं	संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय	सरकारी सेवा
3.	श्री प्रेम नारायण	वित्तीय सदस्य	उप वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय	सरकारी सेवा
4.	श्री एस.पी श्रीनिवासन	सदस्य	उप सचिव जे.आई.ओ., रक्षा मंत्रालय	सरकारी सेवा
5.	श्री एल.एस. चन्द्रकांत	सदस्य	संयुक्त निदेशक एन.सी.ई.आर.टी.	सरकारी सेवा
6.	श्री एस. मिश्रा	सदस्य	जन-अनुदेश निदेशक कटक, उड़ीसा	सरकारी सेवा
7.	श्री वी.वी. जॉन	सदस्य	शिक्षा निदेशक राजस्थान, जयपुर	सरकारी सेवा
8.	अभी नियुक्त किया जाना है	संगठन निदेशक	निदेशक, के.वि.सं.	सरकारी सेवा

हम, निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम, पते एवं व्यवसाय नीचे दिये गये हैं, संघ की बहिर्नियमावली में उल्लिखित उद्देश्य से स्वयं को सम्बद्ध करते हैं और एतद्द्वारा इस संस्था के ज्ञापन में अपने नाम सम्मिलित करते हैं और 1860 के अधिनियम XXI के तहत, 15 सितंबर, 1965 को दिल्ली में एक सोसायटी का गठन करके अपने हस्ताक्षर करते हैं।

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम, पते एवं व्यवसाय	सदस्यों के हस्ताक्षर	गवाहों के नाम, पते एवं व्यवसाय	गवाहों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1.	श्री पी.एन. किरपाल सचिव, शिक्षा मंत्रालय	हस्ताक्षरित		
2.	श्री एल.ओ. जोशी संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय	हस्ताक्षरित		
3.	श्री प्रेम नारायण उप वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय	हस्ताक्षरित		
4.	श्री एस.पी. श्रीनिवासन उप सचिव (जे.आई.ओ.) रक्षा मंत्रालय	हस्ताक्षरित		
5.	श्री एल.एस. चन्द्रकांत संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	हस्ताक्षरित		
6.	श्री एस. मिश्रा जन अनुदेश निदेशक कटक, उड़ीसा	हस्ताक्षरित		

1	2	3	4	5
7.	श्री वी.वी. जॉन शिक्षा निदेशक राजस्थान, जयपुर	हस्ताक्षरित		
8.	श्री एस.एन.दत्त अवर सचिव, केंद्रीय विद्यालय एकक/ शिक्षा मंत्रालय	हस्ताक्षरित		
9.	श्री डी.वी. नवाते सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली	हस्ताक्षरित		

केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम

परिभाषा

1. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) 'संगठन' से तात्पर्य केंद्रीय विद्यालय संगठन है।

(ii) 'विद्यालय' से तात्पर्य केंद्रीय विद्यालय योजना के अंतर्गत स्थापित या अधिगृहीत या केंद्रीय विद्यालय संगंठन द्वारा संबद्ध किए जाने के लिये अनुमोदित विद्यालयों से है।

(iii) 'बोर्ड' से तात्पर्य नियमावली के नियम 19 के तहत गठित नियामक बोर्ड अधिशासी मंडल से है।

(iv) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य यथा स्थिति संगठन या बोर्ड के अध्यक्ष से है।

(v) 'आयुक्त' से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा नियम 11 के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए नियुक्त आयुक्त से है।

(vi) जब तक संदर्भ में अन्यथा उल्लेख न हो:-

(क) एक वचन के लिए प्रयुक्त शब्दों में बहुवचन का भी निहित होगा और;

(ख) बहुवचन के लिए प्रयुक्त शब्दों में एकवचन का अर्थ निहित होगा। पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त शब्दों में स्त्रीलिंग का अर्थ निहित होगा।

2. संगठन का कार्यालय दिल्ली में या अन्य ऐसी जगह या जगहों पर होगा, जिसका निर्धारण संगठन करेगा।

संगठन के सदस्य

3. (क) संगठन में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i) केंद्रीय विद्यालय योजना के प्रभारी, मंत्री या राज्य मंत्री या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के उपमंत्री होंगे।

.... अध्यक्ष

(i)(क) भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये विनिर्दिष्ट व्यक्ति।

.... उपाध्यक्ष

(ii) भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये विनिर्दिष्ट मा.सं.वि. मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का कोई अधिकारी।

.... उप सभापति

(iii) मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि

.... वित्तीय सदस्य

(iv) कार्मिक विभाग का मुख्य कल्याण अधिकारी

(v) रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि जो उस मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(vi) सेना मुख्यालय के शिक्षा निदेशक

(vii) नौ सेना मुख्यालय के शिक्षा निदेशक

(viii) वायु सेना मुख्यालय के शिक्षा निदेशक

(viii) (क) नवोदय विद्यालय समिति के निदेशक

(viii) (ख) केंद्रीय पुलिस संगठनों में से एक प्रतिनिधि जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(viii) (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक प्रतिनिधि जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(ix) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो उस मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(x) निर्माण कार्य एवं आवास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो उस मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(xi) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष।

(xii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक।

(xiii) राज्य सरकारों के दो शिक्षा सचिव मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा
और

(xiv) मनोनीत किए जाएंगे।

(xv) जन अनुदेश के दो निदेशक या राज्य सरकारों के शिक्षा-निदेशक मानव संसाधन
और

(xvi) एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।

(xvii) चार अन्य शिक्षाविद् मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जिसमें से कम व

(xviii) से कम एक महिलओं में से, एक अनुसूचित जाति में से एक व

(xix) और (xx) जनजाति में से होगा।

(xxi) संसद के तीन सदस्य, दो लोकसभा से और (xxii) एक राज्य सभा से जो (xxiii) मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।

(xxiv) संगठन के आयुक्त

(xxv) संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं संगठन के पदेन सचिव

सदस्यों की नामावली

4. संगठन, सदस्यों के पते और व्यवसाय सहित नामावली रखेगा, जिस पर हरेक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। संगठन के किसी सदस्य का पता बदलने पर वह नये पते की सूचना सचिव को देगा ताकि सदस्यों की नियमावली में वह नया पता दर्ज कर सकें। नये पते की सूचना यदि सदस्य नहीं दे पाता है तब नामावली में दर्ज पता ही उसका सही पता माना जायेगा।

5. पद पर नियुक्ति के कारण जब एक व्यक्ति संगठन का सदस्य बन जाता है, तब उस पद या नियुक्ति के समाप्त हो जाने पर उसकी संगठन से सदस्यता स्वयमेव ही समाप्त हो जाएगी। यह नियम उन सभी सदस्यों पर लागू होता है, जिनका उल्लेख उपरोक्त नियम 3 में किया गया है, लेकिन इसमें मद संख्या (xiii) से लेकर (xxiii) के अंतर्गत आने वाले उन सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय में भारत सरकार के द्वारा नामांकन की तिथि से लेकर तीन वर्ष की अवधि के लिए संगठन के सदस्य होंगे; लेकिन किसी सदस्य की भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए सिफारिश की जा सकती है।

सेवा समाप्ति एवं त्यागपत्र

6. किसी व्यक्ति को संगठन का सदस्य नियुक्त या मनोनीत करने वाले प्राधिकारी को उसकी सदस्यता किसी भी समय समाप्त करने का और उसकी जगह पर अन्य व्यक्ति को मनोनीत या नियुक्त करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी।

7. संगठन या बोर्ड के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, यदि:-

   (क) वह विकृतचित, दिवालिया या दंडनीय अपराध का दोष सिद्ध और नैतिक अधमता में लिप्त हो/या

   (ख) यदि वह संगठन के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की छुट्टी की मंजूरी प्राप्त किये बगैर अधिशासी मंडल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता हो।

8. संगठन की सदस्यता से त्यागपत्र लिखित रूप में सचिव को भेजा जाएगा और संगठन की ओर से अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत होने तक यह प्रभावी नहीं माना जाएगा।

रिक्तियां

9. नियम 6, 7 एवं 8 में उल्लेख किए गए किन्हीं भी कारणों से उत्पन्न या मृत्यु के कारण संगठन की सदस्यता की किसी भी रिक्ति को यथास्थिति नामांकन या नियुक्ति करने के पात्र प्राधिकारी द्वारा नामांकन या नियुक्ति करके भरा जाएगा।

10. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पदासीन होने पर सदस्यता पाने का हकदार होने पर किसी अवधि के दौरान संगठन या बोर्ड का सदस्य नहीं होता, कोई भी रिक्ति चाहे वह गैर-नियुक्ति या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई हो फिर भी संगठन अथवा बोर्ड कार्य करेगा, और संगठन या बोर्ड का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उपरोक्त कारणों में से किसी भी एक कारण से या संगठन या बोर्ड के किसी भी सदस्य की

नियुक्ति में या नामांकन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अमान्य नहीं होंगी।

संगठन के प्राधिकारी एवं अधिकारी

10. (क) **प्राधिकारी**

संगठन के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे:-

(i) अधिशासी मंडल

(ii) अध्यक्ष

(iii) उप सभापति

(iv) अधिशासी मंडल द्वारा गठित ऐसे अन्य प्राधिकारी (प्राधिकरण)

(ख) **अधिकारी**

आयुक्त (कमिश्नर), संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और बोर्ड द्वारा मनोनीत कुछ अन्य व्यक्ति संगठन के अधिकारी होंगे। संयुक्त आयुक्त प्रभारी (प्रशासन) संगठन के पदेन सचिव भी होंगे।

11. संगठन के आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय के लियें और भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होगी।

संगठन की कार्यवाही

12. **संगठन की बैठकें**

(i) संगठन की वार्षिक आम बैठक, अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक लेखा सहित) पर विचार करने के लिये होगी।

(ii) अध्यक्ष जब भी आवश्यक समझें, संगठन की विशेष बैठक बुला सकते हैं।

13. संगठन की सभी बैठकें सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस देकर बुलाई जाएंगी।

14. संगठन की बैठक बुलाने के लिये प्रत्येक सूचना में तिथि, समय और बैठक के स्थान का उल्लेख होगा और विशेष बैठक की स्थिति के अलावा, बैठक के लिये निश्चित दिन से 21 दिन पहले संगठन के प्रत्येक सदस्य के पास नोटिस भेजा जाएगा।

15. (i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप सभापति संगठन की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि वह भी अनुपस्थित हैं उपाध्यक्ष बैठक के अध्यक्ष होंगे।

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उप सभापति की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा इस उद्देश्य के लिए लिखित रूप से नियुक्त गवर्नर बोर्ड अधिशासी मंडल का कोई भी सदस्य बैठक का अध्यक्ष होगा।

(iii) उन सभी में से किसी के भी उपस्थित न होने पर और संगठन के किसी भी सदस्य के पक्ष में यदि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकार नहीं दिया गया है जैसा कि ऊपर (ii) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है, तब बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चयनित सदस्य बैठक का अध्यक्ष होगा।

16. संगठन के एक तिहाई सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर संगठन की हर बैठक की गणपूर्ति करेंगे।

(17) (i) संगठन की बैठक में उठाए गए सभी विवादास्पद प्रश्नों का निर्धारण मतदान द्वारा किया जाएगा।

(ii) बराबरी का मतदान होने की स्थिति में, अध्यक्ष का अतिरिक्त मत निर्णायक मत माना जाएगा।

(iii) उपर्युक्त बातों के होते हुए भी, शिक्षा विभाग की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे, वित्तीय मामलों पर वित्तीय सदस्य एवं अध्यक्ष के बीच असहमति की स्थिति में मामला न्याय के लिये शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के पास भेजा जाएगा।

18. संगठन की बैठक की कार्रवाई का ब्योरा सचिव रखेगा और उसकी एक प्रतिलिपि भारत सरकार के मा.सं.वि. मंत्रालय में भेजी जाएगी।

गवर्नर बोर्ड/अधिशासी मंडल

19. संगठन के निम्नलिखित सदस्यों से गवर्नर बोर्ड/अधिशासी मंडल का गठन होगा:

(1) संगठन का अध्यक्ष

(1)(क) इस उद्देश्य स्वरूप भारत सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति;

(2) भारत सरकार द्वारा उप-सभापति के रूप में विनिर्दिष्ट मा.सं.वि. मंत्रालय का कोई अधिकारी;

(3) मा.सं.वि. मंत्रालय, शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि;

(4) रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि;

(5) कार्मिक विभाग का मुख्य कल्याण अधिकारी;

(6) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निदेशक या उसका प्रतिनिधि;

(7) संगठन के सदस्य के रूप में मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनीत जन अनुदेशक का एक निदेशक या राज्य सरकार का शिक्षा निदेशक;

(8) संगठन के सदस्य के रूप में भारत सरकार के मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का एक शिक्षा सचिव;

(9) भारत सरकार, मा.सं.वि. मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रयोजन से समय-समय पर मनोनीत संगठन का एक या अधिक सदस्य। परन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि संगठन के सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से, एक

सदस्य अनुसूचित जातियों में से और एक अनुसूचित जन जातियों में से मनोनीत किया जाए;

(10) भारत सरकार के मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन से संगठन के सदस्य के रूप में मनोनीत संसद का एक सदस्य;

(11) सी.बी.एस.सी. का अध्यक्ष

(12) सेना मुख्यालय का शिक्षा निदेशक

(13) नौ सेना मुख्यालय का शिक्षा निदेशक

(14) वायु सेना मुख्यालय का शिक्षा निदेशक

(14)(क) नवोदय विद्यालय समिति का निदेशक

(14)(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पुलिस संगठन (सी.पी.ओ.ज.) में से मनोनीत एक प्रतिनिधि।

(14)(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.एस.) में से मनोनीत एक प्रतिनिधि।

(15) संगठन का आयुक्त

(16) संगठन का संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) और पदेन सचिव।

19-क. कोई भी व्यक्ति, जो संगठन का सदस्य नहीं रहेगा स्वयंमेव ही बोर्ड का सदस्य भी नहीं बना रह सकता।

अधिशासी मंडल की शक्तियां एवं कार्य

20. बोर्ड साधारणतः संगठन के सभी उद्देश्यों का पालन करेगा, जैसाकि संस्था की बर्हिनियमावली में व्यक्त किया गया है।

21. संगठन के सभी कार्यों/मामलों एवं धन राशि का प्रबंध बोर्ड करेगा और संगठन की शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार भी उसके पास होगा।

22. (i) अधिशासी मंडल के पास संगठन के कार्यों के प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधी ऐसे विनियम बनाने की शक्ति होगी जो नियमों से असंगत नहीं होंगे।

(ii) पूर्ववर्ती प्रावधानों की सामान्य बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित मामलों के बारे में प्रावधान किए जा सकते हैं:

(क) संगठन के बजट (प्राक्कलन) की तैयारी एवं मंजूरी, व्यय की मंजूरी, संविदाएं करना एवं निष्पादन करना, संगठन की धनराशि का निवेश करना, एवं ऐसे निवेशों की बिक्री एवं परिवर्तन और लेखा एवं लेखा परीक्षा।

(ख) संगठन और संगठन के द्वारा प्रबंधित विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं सेवाओं की स्थापना और उसकी देखरेख/रख-रखाव करना;

(ग) संगठन के कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें एवं कार्यकाल, परिलब्धियाँ, भत्ते एवं सेवाओं की अन्य शर्तें, अनुशासन के नियम आदि;

(घ) छात्रवृत्ति देने, निःशुल्क वृत्ति, के नियम एवं शर्तें, वित्तीय एवं अन्य रियायतें, सहायता अनुदान, प्रतिनियुक्ति, संगठन द्वारा संचालित विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के संबंध में शोध योजनाएं एवं परियोजनाएं।

(च) इस प्रकार के अन्य मामले जो संगठन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और इसके कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी हों।

23. गवर्नर अधिशासी मंडल एक संकल्प के द्वारा विद्यालयों के लिये स्थानीय प्रबंध समितियों सहित ऐसी शक्तियाँ प्राप्त सलाहकार समितियों या अन्य समितियों या निकायों को नियुक्त कर सकता है जो वह उचित समझें और इसके द्वारा स्थापित की गई किसी भी समिति या सलाहकार समिति को विघटित कर सकता है।

24. बोर्ड द्वारा लिए गए सभी निर्णय कार्यान्वित किये जाते हैं, यह देखना अध्यक्ष का कार्य है।

25. अध्यक्ष, संगठन या बोर्ड द्वारा सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन इन शक्तियों के प्रयोग में की गई कार्रवाई का विवरण यथास्थिति संगठन या बोर्ड की आगामी बैठक में दिया जाएगा।

26. अध्यक्ष अपनी शक्तियों को आवश्यकतानुसार लिखित रूप में उपाध्यक्ष, आयुक्त या संगठन के अन्य किसी भी अधिकारी को सौंप सकता है।

27. (i) संगठन के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) बोर्ड के सचिव होंगे।

(ii) संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

(क) संगठन के पंजीकृत कार्यालय के प्रभारी होंगे;

(ख) सभी प्रकार के लेखों का सामान्य निरीक्षण/पर्यवेक्षण करेंगे, संगठन की ओर से भुगतान के लिये सभी बिलों को पास करेंगे, संगठन के लेखों को अद्यतन रखने के लिए प्रबंध व्यवस्था करेंगे और संगठन के दक्ष संचालन के लिये वे सभी कार्य करेंगे जो आवश्यक एवं प्रासंगिक हों;

(ग) बोर्ड के अनुमोदन के लिए बजट तैयार करेंगे;

(घ) संगठन एवं बोर्ड की सभी बैठकों में उपस्थित होंगे, और उसकी कार्यवाही का विवरण कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करेंगे।

(च) संगठन एवं बोर्ड द्वारा पारित निर्णयों एवं संकल्पों का निष्पादन करेंगे;

(छ) संगठन या बोर्ड की ओर से सभी संविदाओं, विलेखों एवं लिखितों का निष्पादन करेंगे और उन पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन इसमें संपत्ति के आश्वासन संबंधी लिखितों को तब तक शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक बोर्ड के सदस्यों द्वारा इस संबंध में मुख्तारनामा निष्पादित करके विधिवत् अधिकार न दे दिया गया हो।

28. बोर्ड एक सील/मुहर प्रदान करेगा और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा भी प्रदान करेगा और बोर्ड के पूर्व प्राधिकार के बिना मुहर का प्रयोग नहीं किया जाएगा और बोर्ड का एक सदस्य मुहर लगी प्रत्येक लिखित पर हस्ताक्षर करेगा और बोर्ड की इच्छानुसार इस प्रकार की प्रत्येक लिखित पर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा या बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

गवर्नर बोर्ड की कार्यवाही

29. अधिशासी मंडल की बैठक अपने कार्यों के संबंध में आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती हैं परंतु दो बैठकों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होगा।

30. बोर्ड की प्रत्येक साधारण बैठक के लिये, कम से कम दस दिन पहले, प्रत्येक सदस्य को लिखित में सूचना भेजनी होगी।

30.(ए)(i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिशासी मंडल की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे। यदि वह भी अनुपस्थिति हैं तो उप सभापति बैठक के अध्यक्ष होंगे।

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उप सभापति की अनुपस्थिति में इस प्रयोजन से अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में नियुक्त अधिशासी मंडल का कोई सदस्य बैठक का अध्यक्ष होगा।

(iii) उनमें से किसी के भी उपस्थित न रहने पर और यदि अध्यक्ष द्वारा संगठन के किसी भी सदस्य को प्राधिकार नहीं दिया गया

है जैसा कि उपर्युक्त (ii) के तहत दर्शाया गया है बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया एक सदस्य बैठक का अध्यक्ष होगा।

31. बोर्ड के एक तिहाई सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर बोर्ड की हर बैठक की गणपूर्ति करेंगे ।

32. (i) अध्यक्ष सहित बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का अपना एक मत होगा।

(ii) (क) बोर्ड की बैठकों में उठाये गये सभी विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय मत द्वारा दिया जाएगा;

(ख) मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा;

(ग) इसके बावजूद, वित्तीय मामलों पर वित्त सदस्य एवं अध्यक्ष के मध्य मतभेद होने पर शिक्षा विभाग के प्रत्यायोजित शक्तियों से परे मामला शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री के पास निर्णय के लिये भेजा जाएगा।

33. बोर्ड द्वारा निष्पादन के लिये किसी भी आवश्यक कार्य के संबंध में संकल्प का मसौदा सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा, और इस प्रकार परिचालित एवं बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई भी संकल्प जिस पर सदस्यों की सहमति एवं हस्ताक्षर प्राप्त होंगे ठीक उसी तरह कारगर एवं बाध्यकारी होगा मानों ऐसा संकल्प बोर्ड की बैठक में पारित किया गया था बशर्ते इस संकल्प पर बोर्ड के कम से कम चार सदस्यों के मत दर्ज किए गए हों।

34. बोर्ड संगठन की हरेक बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड रखेगा और उसकी एक प्रतिलिपि भारत सरकार को भेजेगा।

आयुक्त के कार्य एवं अधिकार

35. आयुक्त, संगठन का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और बोर्ड द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के अध्यधीन वह संगठन के प्रशासनिक

मामलों के सुचारू संचालन के प्रति एवं संगठन की संपत्ति एवं संस्थानों, जैसे: विद्यालयों, खेलकूद के मैदानों, व्यायामशालाओं, छात्रावासों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिये आवास गृहों की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगा, वह यह कार्य अध्यक्ष एवं बोर्ड के निदेशन एवं मार्गदर्शन में करेगा।

36. आयुक्त का दायित्व संगठन के अधीन होने वाली शिक्षा संबंधी, प्रशिक्षण, आवासीय, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य गतिविधियों का समन्वय एवं समग्र निरीक्षण करना होगा।

37. आयुक्त, अध्यक्ष की सहमति से अपनी किसी भी शक्ति एवं दायित्वों को नियमों के तहत नियुक्त या प्रतिष्ठित किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रत्यायोजित कर सकता है।

38. आयुक्त के पास ऐसी शक्तियां एवं दायित्व होंगे, जो बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा संगठन के हितों के अनुसार उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किए जाएं।

39. आयुक्त, संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण करेगा और नियमों और विनियमों के तहत इनके पर्यवेक्षण एवं अनुशासनिक नियंत्रण का कार्य करेगा।

40. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (इसकी शाखाओं सहित) संगठन के बैंकर्स होंगे। संगठन एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त सारी धन राशि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी शाखाओं और/या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संगठन के खाते में जमा की जाएगी और इस खाते से किसी भी प्रकार की धन राशि इस कार्य के लिये आयुक्त द्वारा विधिगत शक्ति प्रदत्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए चैक के बिना नहीं निकाली जाएगा।

41. निकाल दिया गया ।

42. बोर्ड एक समिति का गठन करेगा, जिसमें पांच सदस्य होंगे; जिनमें से उप सभापति, वित्तीय सदस्य और आयुक्त पदेन सदस्य होंगे।

43. वित्त समिति के, यदि नियुक्त है, निम्नलिखित दायित्व होंगे:-

(i) संगठन के हिसाब-किताब और बजट अनुमान की संवीक्षा करना और बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत करना।

(ii) संगठन के प्रमुख निर्माण कार्यों के लिये नये व्यय हेतु प्रस्तावों एवं उद्देश्यों/प्रयोजनीय कार्यों पर विचार करना एवं बोर्ड को सिफारिश करना जिन्हें बोर्ड द्वारा विचार करने से पहले वित्तीय समिति के पास विचार हेतु भेजा जाएगा।

(iii) पुनः विनियोजन विवरणों और लेखा-परीक्षा टिप्पणी की छानबीन करना और उस पर बोर्ड को सिफारिशें करना।

(iv) समय-समय पर संगठन के वित्त पर पुनर्विचार करना एवं जहां भी आवश्यक हो समवर्ती लेखा-परीक्षा करवाना, और

(v) संगठन के कार्यों को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य वित्त संबंधी मामलों पर सलाह देना एवं बोर्ड से सिफारिशें करना।

43.ए. अधिशासी मंडल और एक उप-समिति निर्माण कार्य समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य एवं कार्य होंगे:-

सदस्यता

(i)	उप सभापति, के.वि.सं.	अध्यक्ष
(ii)	मा.सं.वि. मंत्रालय के शिक्षा विभाग में वित्तीय सलाहकार	सदस्य
(iii)	आयुक्त, के.वि.सं.	सदस्य
(iv)	शिक्षा निदेशक, सेना, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
(v)	शिक्षा निदेशक, वायु सेना, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
(vi)	निदेशक, सैन्य क्षेत्र एवं छावनी, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
(vii)	शिक्षा निदेशक, नौ सेना, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
(viii)	अधीक्षक इंजीनियर/एस.ओ.पी.एल.जी.ओ.) ई-एन-सी शाखा, निर्माण एवं आवास मंत्रालय	सदस्य
(ix)	अधीक्षक सर्वेक्षक, निर्माण कार्य (1) सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण एवं आवास मंत्रालय	सदस्य
(x)	निर्माण एवं आवास मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधिं	सदस्य
(xi)	उपायुक्त (वित्त) के.वि.सं.	सदस्य सचिव

कार्य

(क) संगठन की कार्य नीति पर समय-समय पर सिफारिशें प्रस्तुत करना।

(ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन के सालाना और साथ ही संभावित निर्माण कार्य योजना पर विचार और अनुमोदन करना।

(ग) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की मंजूरी जारी करने के लिये मानदंड निर्धारित करना।

(घ) समय-समय पर संस्वीकृत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना।

(च) निर्माण कार्य से संबंधित संसाधनों का अधिकतम एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु हिसाब-किताब का निरीक्षण करना।

(छ) निर्माण कार्यक्रम के संबंध में नीतिगत मामलों पर बोर्ड को सलाह देना।

प्रचालन तंत्र:

(क) भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्यों पर व्यय, सी.पी.डब्ल्यू.डी. एवं एम.ई.एस. द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं मानदंडों के अनुसार होगा।

(ख) के.वी.एस. के आयुक्त के पास के.वी.एस. के निर्माण कार्यों के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की मंजूरी के लिए पूर्ण शक्तियां होंगी।

उपर्युक्त प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार अनुमोदन/मंजूरी इस प्रकार जारी की जाएगी:

(अ) प्रारंभिक व्यय अनुमान के आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाए।

(ब) व्यय मंजूरी विस्तृत प्राक्कलनों के आधार पर जारी की जाएगी। नकद राशि की पहली किस्त इसी आधार पर दी जाएगी।

निम्नलिखित सरकारी एजेंसियों द्वारा सामान्यत: केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाएगा:

i) सी.पी.डब्ल्यू.डी., ii) एम.ई.एस., iii) राजकीय पी.डब्ल्यू.डी., vi) रेलवे

इन एजेंसियों से भिन्न किसी अन्य एजेंसी द्वारा यदि किसी भी कारण से विशेष निर्माण-कार्य का निष्पादन अपेक्षित हैं, तो पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निर्माण-कार्य समिति के समक्ष रखा जाएगा।

टिप्पणी: i) मूलत: अनुमोदित लागत में 10% तक की बढ़ोतरी होने पर पुन: मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii) मूलत: अनुमोदित लागत में 10% से अधिक अंतर होने पर मंजूरी लेनी होगी और संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाने होंगे।

43.बी. गवर्नर बोर्ड की एक उप समिति शैक्षणिक सलाहकार समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य एवं प्रकार्य होंगे:-

सदस्यता

1.	उप सभापति, के.वि.सं.	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, के.वि.सं.	सदस्य
3-11	विशिष्ट शिक्षाविदों में से के.वि.सं. के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाएगा	सदस्य
12.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13.	संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)	सदस्य सचिव

सदस्यता की अवधि/कार्यकाल

शैक्षणिक सलाहकार समिति के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। एक या सभी नामांकित सदस्यों की अनुपस्थिति के बावजूद समिति कार्य करेगी।

प्रकार्य

i) केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक एवं सह पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के बारे में संगठन को सलाह देना;

ii) इन कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करना।

iii) इन योजनाओं/कार्यक्रमों की सामयिक समीक्षा करना एवं कमियों को दूर करने के सुझाव प्रस्तुत करना।

iv) संगठन के अन्य उद्देश्यों के साथ केंद्रीय विद्यालयों का निम्नलिखित उद्देश्य पूरे करने में मदद देना।

(क) शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में विद्यालयों का स्तर विकसित कर उत्कृष्ट विद्यालय (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) तक पहुंचाना।

(ख) अन्य विशेषज्ञ संकायों जैसे सी.बी.एस.ई., एन.सी.ई.आर.टी. आदि के सहयोग से शिक्षण में प्रयोग की शुरूआत करना एवं सहयोग देना।

(ग) राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना।

(घ) संगठन के प्रकाशन कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं बेहतरी के सुझाव देना।

43 सी. अधिशासी मंडल की एक उपसमिति अर्थात प्रशासन एवं स्थापना समिति होगी जिसका गठन और कार्य निम्न प्रकार से होंगें-

सदस्य

1.	उपाध्यक्ष, कें.वि.सं.	अध्यक्ष
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	कार्मिक एवं लोक कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	आयुक्त, कें.वि.सं.	सदस्य
5.	संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)	सदस्य
6.	उपायुक्त (प्रशा./कार्मिक)	सदस्य-सचिव

1. प्रशासन एवं स्थापना समिति का कार्य प्रशासन एवं स्थापना संबंधी मामलों को लागू करने के लिए नीतियों के बारे में संगठन को सलाह देना और उन नीतियों का प्रभावी रूप से विनियमन और अनुवीक्षण करना।
2. ई-गर्वन्मेंस शिकायतों के निपटान और अन्य निस्तारण मशीनरी का अनुवीक्षण संबंधी मामलों में दिशा – निर्देश तैयार करने में सहायता करना ।
3. संगठन की विभिन्न यूनिटों के मध्य विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय ।

लेखा एवं लेखा-परीक्षा

44. भारत सरकार के आदेशानुसार/निर्देशानुसार संगठन को समुचित लेखा विवरण एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखना होगा और बैलेंस-शीट/पक्के चिट्ठे सहित वार्षिक/लेखा-विवरण तैयार करना होगा।

45. भारत सरकार के निर्देशानुसार संगठन के लेखाओं की वार्षिक लेखा-परीक्षा की जाएगी और संगठन के लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह का व्यय संगठन द्वारा देय होगा।

46. लेखापरीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित संगठन के लेखाओं को उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से भारत सरकार को भेजा जाएगा।

विद्यालयों की प्रबन्ध समितियां

47. प्रत्येक विद्यालय के लिये बोर्ड द्वारा उपयुक्त माने गए समय पर एक प्रबंध समिति गठित की जाएगी, जोकि समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार विद्यालय के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।

48. विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों का गठन बोर्ड के आदेशानुसार होगा एवं अलग-अलग विद्यालयों में अलग-अलग हो सकता है। बोर्ड द्वारा गठन का आदेश होने तक, केंद्रीय विद्यालय में विद्यमान व्यवस्था ऐसे आशोधनों के साथ जारी रहेगा, जैसा भी बोर्ड/संगठन निर्देश देगा।

49. प्रबंध समिति के प्रकार्य एवं शक्तियाँ वे ही होंगे, जो इसे बोर्ड द्वारा समानुदेशित किए जाएं, परंतु बोर्ड प्रबंध समिति से उसके किन्हीं प्रकार्यों एवं शक्तियों को बढ़ा सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है या वापस ले सकता है।

50. प्रबन्ध समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी एवं समिति के अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

वार्षिक रिपोर्ट

51. संगठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग को अपने लेखाओं पर पिछले वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर दोनों) के साथ अपनी कार्यप्रणाली पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जोकि लेखाकरण वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखनी होगी।

संशोधन/परिवर्तन

52. भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त होने पर संगठन उन उद्देश्यों प्रयोजनों में जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है। परिवर्तन, विस्तार या कमी कर सकता है। इसके लिये इस संबंध में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का XXI) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

53. संगठन के नियमों में परिवर्तन, भारत सरकार/एच.आर.डी., मंत्रालय की सहमति से किसी भी समय संगठन की बैठक में (जो इसी उद्देश्य के लिये विधिवत् बुलाई जाएगी) उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जा सकता है।

54. यदि संगठन के भंग होने की स्थिति में सभी लेनदारी और देनदारियों से मुक्त होने के बाद कोई संपत्ति शेष है तो वह संगठन के सदस्यों में बांटी या उनमें से किसी को दी नहीं जाएगी; लेकिन सभी ऋण एवं देयताओं के पूरा होने के पश्चात् बची हुई संपत्ति संगठन के संघ की बर्हिनियमावली सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का XXI) की धारा 1 के अंतर्गत दिये गये उद्देश्यों हेतु किसी भी प्रयोजन के उपयोग के लिए भारत सरकार को हस्तांतरित की जाएगी।

55. **संगठन द्वारा या उसके विरूद्ध मुकदमें**

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का XXI) की धारा 6 के प्रयोजन के लिये, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को संगठन का प्रधान सचिव माना जाएगा और संगठन की ओर से मुकदमें संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के नाम से किए जा सकते है या संगठन पर मुकदमा संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के नाम पर किया जा सकता है।

प्रमाणन

56. हम, गर्वनर बोर्ड अधिशासी मंडल के निम्नतलखित सदस्य प्रमाणित करते हैं कि संगठन के नियमों की उपर्युक्त प्रतिलिपि सही है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री पी.एन. किरपाल	अध्यक्ष	हस्ताक्षर
2.	श्री एल.ओ. जोशी	केंद्रीय विद्यालयों के उपाध्यक्ष एवं आयुक्त	
3.	श्री प्रेम नारायण	वित्तीय सदस्य	हस्ताक्षर